such as Customs, Revenue intelligence, CBI, Police, BSF, ITBP, RPF and Foreign Post Offices, Traffic-India and Wildlife authorities to enable effective inter-departmental cooperation and coordination to deal with the problem of illegal trade in wildlife and wildlife products.

(ii) Training programmes on enforcement and implementation and wildlife and other related laws and international conventions have been organised for all the enforcement agencies in Feburary and November, 1995.

(iii) Raids are carried out by the wildlife authorities, in cooperation with other enforcement agencies, if necessary, whenever information of illegal trading in wildlife is received.

(iv) India is a signatory to the Convention on International Trade in Endangred Species of Wild Fauna and Flora (CITES) under which international trade in endangered species and their parts and derivatives is strictly regulated.

(v) Rewards are given to informers for gathering intelligence regarding illegal trade and smuggling of wildlife products.

(vi) A committee set up by this Ministry to look into issues related to illegal trade in wildlife and wildlife products has recommended specific measures to deal with this problem and these are being followed up with the States for implementation.

(vii) Regional and sub-regional offices of Wildlife Preservation have been set-up mainly at the major export centres of the country to prevent illegal trade and smuggling of wildlife products.

सांसद/अतिमहत्पूर्ण व्यक्तियों के कोटे के अंतर्गत गैस कनेक्शन

932. **श्री रामजी लाल** :क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष उनके द्वारा अपने कोटे में से कितने लोगों को कितने गैस कनेक्शन तथा इनमें से अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों /सांसदों की सिफारिश पर भी कितने गैस कनेक्शन संसवीकृत किए गए,

(ख) कुल कितने सांसदों की ओर से सिफारिशों प्राप्त हुई थी और कितने सांसदों की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया,

(ग) इस संबंध में किन-किन मानदंडों का पालन किया जा रहा है;

(घ) क्या जिन सांसदों की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जाता है, उनको कोई उत्तर भेजा जाता है, और

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) से (ड.) 1.1.95 से 30.11.95 की अवधि के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की संस्तुति पर 91694 घरेलु एल.पी.जी. कनैक्शन जारी करने के लिए एल.पी.जी. विपणन कंपनियों को आदेश दिए गए हैं । ये कनैक्शन व्यक्तियों के अनुरोध पर तथा तात्कालिक एंव उचित मामलों में सरकार के विवेक पर एंव सांसदों तथा पूर्व सांसदो जन प्रतिनिधियों की सिफारिशों पर अनुमोदित किए गए हैं । जिन वयक्तियों को तथा जिनकी सिफारिशों पर ये कनैक्शन जारी किए गए हैं उनके संबंध में जानकारी को एकत्र करने में शामिल प्रयास, वांछित उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता

933. **श्री रामजी लाल** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है, यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई,